



## मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: टीएस-सीसीटीएनएस-08 / 2013  
सेवा में,

दिनांक: फरवरी 4, 2015

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,  
जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय:- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये हैंड होल्डिंग स्टाफ की एस0ओ0पी0 विषयक।

कृपया अवगत कराना है कि हैंड होल्डिंग स्टाफ सीसीटीएनएस योजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। हैंड होल्डिंग स्टाफ पुलिस कर्मियों के दिन-प्रतिदिन के सूचना प्रोटोकॉल की सम्बन्धित CAS के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे।

अतः आपके जनपद में सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये "हैंड होल्डिंग स्टाफ" द्वारा जनपद के समस्त सर्किल आफिस एवं डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में पुलिस कर्मियों को सूचना प्रोटोकॉल के सम्बन्धित CAS के संचालन में सहयोग प्रदान किया जायेगा जिसमें Handholding Staff के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

- 1—यह सुनिश्चित करना कि थानों पर लगे कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण कार्य कर रहे हैं।
  - 2—माफटवेयर, कम्प्यूटर लैन सहवर्ती उपकरण एवं कनेक्टिविटी से सम्बन्धित स्थानीय तकनीकी समस्या का निवारण करना।
  - 3—थानों के पुलिस कर्मियों को कम्प्यूटर के संचालन एवं एमएस आफिस पर किये जा रहे कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
  - 4—पुलिस कर्मियों को CAS के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
  - 5—Handholding Staff सप्ताह में 06 दिन सोमवार से शनिवार तक कार्य करेगा।
  - 6—Handholding Staff की उपरिथित पंजिका के रखरखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी का होगा, ताकि आगामी समय में उक्त की उपरिथित का सत्यापन जनपद स्तर से किया जा सके।
  - 7—हैंड होल्डिंग स्टाफ की प्रतिदिन उपरिथित प्रातः 9.30 बजे से सायंकाल 6.30 बजे तक है।
  - 8—क्षेत्राधिकारी/थाने में नियुक्त हैंड होल्डिंग स्टाफ हर माह के अन्तिम दिन अपना उपरिथित प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसका अवलोकन कर हैंड होल्डिंग स्टाफ की उपरिथित क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर व मोहर सहित प्रमाणित की जायेगी।
  - 9—हैंड होल्डिंग स्टाफ का रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन अवकाश होगा।
  - 10—इस मुख्यालय के समानक पत्र दिनांक 20-11-2014 के द्वारा पूर्व में आदेश दिया गया है कि जिस सर्किल मुख्यालय पर हैंड होल्डिंग स्टाफ नियुक्त हैं वह सर्किल अफसर अपनी जिम्मदारी से ही हैंड होल्डिंग स्टाफ को अपने सर्किल के थाने में आवागमन की व्यवस्था करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि जिन जनपदों में अभी Handholding Staff उपलब्ध नहीं कराया गया है वहाँ पर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- अतः Handholding Staff से सीसीटीएनएस का कार्य लिये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

( डी०क० चौधरी )  
पुलिस उपमहानिरीक्षक,  
तकनीकी सेवायें, मुख्यालय  
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3— समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 5— श्री जफर रिजावी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनआईआईटी।
- 6— श्री राजीव वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू।